



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

भविष्य के बाजार में बने, आप भी भागीदार

नीलामी स्थल
आवासन मण्डल
मुख्यालय जनपथ,
ज्योति नगर, जयपुर

गुलाबी नगर जयपुर की प्रतिष्ठित कॉलोनी
मालवीय नगर एवं इन्दिरा गांधी नगर आवासीय
योजना में वाणिज्यिक भूखण्ड की

भव्य नीलामी

नीलामी दिनांक
28 नवम्बर 2014
समय
प्रातः 11.30 बजे

क्र. सं.	सैक्टर	व्यावसायिक भूखण्ड संख्या	कार्नर/ सामान्य	व्यावसायिक भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्ग मीटर	न्यूनतम बोली दर (MBP) प्रति वर्ग मीटर राशि रु.
मालवीय नगर आवासीय योजना, जयपुर में उपलब्ध वाणिज्यिक भूखण्ड					
1	9	9-सी-01	सामान्य	548.400	75000.00
इन्दिरा गांधी नगर आवासीय योजना, जगतपुरा, जयपुर में उपलब्ध वाणिज्यिक भूखण्ड					
1	1	1-सी-1	कार्नर	660.90	51000.00
2	4	4-सी-02	सामान्य	2496.00	46000.00
3	5	5-सी-1	कार्नर	3604.08	49000.00

नियम व शर्तें:- 1. प्रत्येक नीलामी में भाग लेने के लिए बोलीदाता को कुल न्यूनतम बिड मूल्य का 5 प्रतिशत अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी तथा राशि रु 10.00 करोड से अधिक के न्यूनतम बोली मूल्य पर अमानत राशि के रूप में रुपये 50.00 लाख अथवा न्यूनतम बिड मूल्य का 05 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, जमा करानी होगी। 2. उच्चतम बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा कराई गई राशि को समायोजित करते हुए 72 घण्टे में जमा करानी होगी। यदि जमा कराने के अंतिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस को जमा करानी होगी। उक्त राशि जमा न होने पर नीलामी निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी। 3. नीलामी कम से कम तीन बोलीदाताओं की उपस्थिति में ही की जावेगी, अन्यथा नीलामी को निरस्त समझा जावेगा। 4. नीलामी सम्बन्धित न्यूनतम बोली मूल्य प्रति वर्गमीटर से शुरु की जावेगी। 5. यदि किसी कम्पनी अथवा फर्म के नाम से बोली लगाई जाती है तो बोली प्रारम्भ होने से पूर्व ऐसी कम्पनी अथवा फर्म के रजिस्ट्रेशन संबंधी समस्त दस्तावेज एवं बोली लगाने वाले अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में फर्म/कम्पनी द्वारा पारित प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 6. नीलामी "जहाँ है जैसा है" के आधार पर की जावेगी। 7. राजस्थान आवासन मण्डल को बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार होगा। 8. सभी राशियाँ बैंकर्स चैक/डी.डी. के द्वारा जो राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के नाम देय होगा, जमा करानी होगी। 9. आवंटन पत्र जारी होने के 60 दिवस में लीज मनी, ए.एस.सी एवं सर्विस टैक्स इत्यादि चार्ज के साथ बकाया राशि जमा करवानी होगी। 5 प्रतिशत लीज राशि वाणिज्यिक रिजर्व प्राईस पर प्रतिवर्ष चार्ज की जावेगी। ए.एस.सी. चार्ज 3 प्रतिशत कुल बोली राशि के अतिरिक्त जमा करानी होगी। 10. 60 दिवस की निर्धारित अवधि तक समस्त बकाया राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में बोली की राशि जब्त कर ली जावेगी व बोली निरस्त होगी। 11. भूखण्ड का माप मौके अनुसार होगा अर्थात् दर्शायी गई नाप में कमी/बढोतरी हो सकती है। 12. स्थानीय प्राधिकरण के बिल्डिंग बाईलॉज अपनाते हुए और सम्बन्धित प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद ही निर्माण कार्य करवाना होगा। 13. नीलामी के बोलीदाता से साथ केवल एक व्यक्ति को प्रवेश दिया जावेगा। 14. नीलामी के दौरान मोबाईल फोन का प्रयोग निषेध है। 15. बोली रु. 100 के गुणांक में ही स्वीकार की जाएगी। 16. अन्य शर्तें प्रपत्रानुसार एवं मण्डल नियमानुसार मान्य होंगी। 17. लीज राशि एवं एक मुश्त लीज राशि पर नियमानुसार सर्विस टैक्स देय होगा। 18. नीलामी में भाग लेने पर यह समझा जावेगा कि उपरोक्त सभी शर्तें एवं मण्डल के इस नियम पर प्रचलित अन्य समस्त शर्तें बोलीदाता को मान्य है एवं वे पूर्ण रूप से इससे सहमत है। 19. अधिक जानकारी के लिए मण्डल की वेबसाईट www.rhbonline.rajasthan.gov.in देखें अथवा संबंधित आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के कार्यालय में सम्पर्क करें।

:: - सम्पर्क सूत्र - ::

उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जवाहर सर्किल के पास, जे.एल.एन. मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर। फोन : 0141-2723844	सैक्टर-09, मालवीय नगर जयपुर हेतु	सैक्टर-01, इन्दिरा गांधी नगर जयपुर हेतु	सैक्टर-04, इन्दिरा गांधी नगर जयपुर हेतु	सैक्टर-05, इन्दिरा गांधी नगर जयपुर हेतु
	आवासीय अभियन्ता, खण्ड द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, 9/721 "ए", मालवीय नगर, जयपुर। मो. 9983993888	आवासीय अभियन्ता, खण्ड प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, सैक्टर-04, इन्दिरा गांधी नगर, जयपुर मो. 9828109476	आवासीय अभियन्ता, खण्ड तेरह, राजस्थान आवासन मण्डल, सैक्टर-04, इन्दिरा गांधी नगर, जयपुर मो. 9828127727	आवासीय अभियन्ता, खण्ड ग्यारह, राजस्थान आवासन मण्डल, सैक्टर-04, इन्दिरा गांधी नगर, जयपुर मो. 9983309406

उप आवासन आयुक्त,
वृत्त-तृतीय, जयपुर।